

सम्पादकीय

रूस-यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ा सबक यही मिला है कि अपनी रक्षा के लिए आप किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते

यूक्रेन पर अपने हमले को रूस ने 'विशेष सैन्य अभियान' का नाम दिया है। राष्ट्रपति पुतिन को पूरा भरोसा था कि जैसे उनकी सेनाओं ने क्रीमिया को जीत लिया, वैसे ही यूक्रेन को भी तीन दिनों में घस्त कर देंगी। उनके लिए यह अफसोसजनक रहा कि महीने भर तक भारी-भरकम सैन्य हमलों के बावजूद यूक्रेन के प्रमुख शहरों में रूस की पैंथ नहीं बन पाई। यहां तक कि रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल का भी सहारा लिया। यूक्रेन के सैन्य बलों, नागरिकों और राजव्यवस्था ने बहुत मजबूती से प्रतिरोध किया। अपने शस्त्रागार के बजाय देशभक्ति और लोकतंत्र के प्रति उनके प्रेम ने उन्हें यह शक्ति प्रदान की है, जो संस्थानों और मानवीय जीवन पर आघात से भी अप्रभावित है। अर्धशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त थामस सेलिंग के अनुसार कोई टकराव वास्तव में उन नीति-नियंत्राओं के बीच रणनीतिक मुकाबला होता है, जो अपनी पसंद के विकल्पों को लेकर उसकी कीमत एवं फायदों को तौलते हैं। हालांकि हमलावर की रणनीति की सफलता उन संभावित परिणामों पर निर्भर करती है, जिस पर हमला किया जा सकता है। पूरा विश्व यूक्रेन युद्ध की विभीषिका का प्रत्यक्षदर्शी बना हुआ है। सहानुभूति को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव से लेकर यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति और लाखों यूक्रेनियों का पड़ोसी देशों में शरणार्थी के रूप में स्वागत और रूस पर अप्रत्याशित आर्थिक प्रतिबंध और उसके धनकुबेरों एवं उनके संगी-साथियों पर कसता शिकंजा हम सभी ने देखा है। इतना ही नहीं पूरी दुनिया ऊर्जा संसाधनों, खनिज, खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी बढ़तरी देख रही है। महांगई के कारण उपजी मंदी और व्यापक मानवीय त्रासदी की स्थिति बन रही है। इस युद्ध का अंतिम परिणाम इस बात पर निर्भर करेगा कि यह लड़ाई कितनी लंबी खिंचेगी और उसका अति किस प्रकार होता है? रूस की मजबूत सेना के खिलाफ यूक्रेन के सीमित सैनिक और स्वयंसेवक ही मोर्चा संभाल हुए हैं। अभी से यह कहा जाने लगा है कि युद्ध में यूक्रेन की नीतिक जीत हो रही है। दुनिया भर में बन रहे अधिकांश विर्मां इसी पर केंद्रित है कि पुतिन यह लड़ाई हार रहे हैं। हालांकि जंग के मैदान में जीत इसी

मजहबी दुस्साहस की पराकाष्ठा, आबादी के लिहाज से भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह में कट्टरता

का प्रसार चिंता का विषय
बीते दिनों एक सनसनीखेज वारदात में मुर्तजा अहमद अब्बासी नामक एक युवक ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर पर तैनात सुरक्षा कमियों पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। आइआइटी बांबे से केमिकल इंजीनियरिंग की डिप्लोमा प्राप्त मुर्तजा गोरखपुर के एक पढ़े-लिखे मुस्लिम परिवार से संबंध रखता है। यह कोई फला भीका नहीं, जब उच्च शिक्षा प्राप्त कोई मुस्लिम युवक ऐसी गतिविधि में लिप्त पाया गया हो। आइआइटी बांबे का ही एक अन्य छात्र शरजील इमाम और जेएनयू का छात्र उमर खालिद दिल्ली दंगों में बतौर आरोपी जेल में निरुद्ध है। अहमदाबाद दंगों में हाल में जिन 49 आतंकियों को सजा हुई, उनमें डाक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि शामिल थे। इस्लामिक स्टेट यानी आईएस में शामिल होने वाले भारतीयों में कई शिक्षित मुस्लिम थे। इसके अलावा 9/11 समेत अन्य तमाम आतंकी घटनाओं में डाक्टर, इंजीनियर आदि शामिल पाए गए हैं। इससे यह स्पष्ट है कि मजहबी कट्टरता का अशिक्षा से कोई लेना-देना नहीं और इस्लामी मतान्धाता पढ़े-लिखे वर्ग को भी अनपढ़ लोगों की ही तरह प्रभावित करती है। आबादी के लिहाज से भारत के दूसरे सबसे बड़े समूह में कट्टरता का इतने बड़े स्तर पर प्रसार अत्यधिक चिंता का विषय है, परंतु इस समस्या पर समग्र चिंतन का अब भी अभाव है। इस मतान्धाता का संज्ञान करौली जैसे दंगों या गोरखपुर जैसी घटनाओं के होने पर ही लिया जाता है, जबकि यह कट्टरता की वह चरम अवस्था है, जो मजहबी श्रेष्ठता, गैर मुस्लिमों के प्रति असहिष्णुता, खान-पान, पहनावे जैसे मजहबी प्रतीकों के सार्वजनिक जीवन में प्रक्षेपण और देश के कई हिस्सों में जनसंख्या अनुपात बदलने के प्रयासों जैसे तमाम चरणों की पराकाष्ठा है। हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा शासन और लोकनीति को प्रभावित करने के प्रयास भी इसी कड़ी का हिस्सा है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले तमिलनाडु तौहीद जमात ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उन जजों को जान से मारने की धमकी दी, जिन्होंने स्कूली कक्षाओं में हिंजाब पहनने की जिद को यूनिफार्म की अवहेलना करार दिया था। इस जमात के सदस्यों ने जजों को धनबाद में वाहन द्वारा कुचलकर मारे गए जज की तरह अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। एक अन्य ने जजों को धमकाया कि जमात को पता है कि जज अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने अथवा सुबह टहलने के लिए कहां जाते हैं। मूर्ति पूजा की विरोध में घोर हिंदू विराधी ईलायां निकाले वाली तौहीद जमात पहले भी सुखियों में रही है।

गणित और विज्ञान के आईने में कोरोना की चौथी लहर को लेकर बेहद भ्रामक सूचनाएं आ रही सामने

कोविड मामलों में उत्तेजनीय गिरावट दिखने के बावजूद चीन, ब्रिटेन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया जैसे मामले में विज्ञान और गणित तक में विभेद है। आइआईटी कानपुर ही, संक्रमित करने वाला विषाणु भी इतना कमज़ोर होगा कि इसका



के प्रोफेसरों का गणितीय माडल कहता है कि देश में कोरोना की चौथी लहर अवश्य आएगी। दो महीने बाद जून में इसका असर दिख सकता है, तीन महीने बाद पीपीक आएगा तथा सितंबर अंत तक यह तेजी से सिमट जाएगी। दूसरी तरफ देश के कई विषाणु विज्ञानी यह दावा कर चुके हैं कि चौथी लहर की कोई आशंका नहीं है। उनका कहना है कि लहर उसे कहते हैं जब संक्रमण दर तेजी से ऊपर चढ़े और फिर नीचे उतरे। अगर जून-जुलाई तक संक्रमण के मामले कुछ बढ़े भी तो वे इतने नहीं होंगे कि लहर का निर्माण करें। साथ

चंद्रकांत लहरिया के अनुसार ओमिक्रान का नया वेरिएंट कोरोना की चौथी लहर लाएगा अवश्य। कुछ का कहना है कि इतनी आश्वस्त से कुछ कहना कठिन है। हमें कुछ और समय इंतजार करना चाहिए, आंकड़े बताएंगे कि नया वेरिएंट लहर पैदा कर पाने में सक्षम है कि नहीं, क्योंकि दस गुना संक्रमक होने के बावजूद नए वेरिएंट के मामले बहुत ज्यादा सामने नहीं आ रहे। वैसे घातक और बड़ी कोरोना लहर की आशंका कम है, पर उधर टीवी माध्यम सनसनी फैला रहा है कि चीन और दक्षिण कोरिया में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ये हालात कल भारत के भी हो सकते हैं। टीवी पर तर्कातीत होने के आरोप लगते रहते हैं, परंतु तर्क सम्पत बात कहने वाले विज्ञान और गणित ही जब विरोधाभासी दावे कर रहे हों तो राजनीतिक और अधिकारियों के बयानों के बारे में कहना ही क्या। इस सदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तर्क है, देश के 95 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। जल्द ही दूसरी डोज वाले भी 80 प्रतिशत के पार होंगे। साथ ही, 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को पूरक डोज भी लग ही रहे हैं। आधी से अधिक जनसंख्या को जाने अनजाने परोक्ष रूप से कोरोना संक्रमण हो चुका है, इन सबकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है। हर्ड इम्युनिटी की यह आदर्श स्थिति है। माना कि बी-ए-2 वैक्सीन से बच निकलता है, इसके बावजूद भारत में इसका संक्रमण बहुत घातक नहीं होगा। सगाल यह है कि जब वैक्सीन की प्रतिरोधक क्षमता संबंधी प्रभाविकता के बारे में यह प्रकाश पता ही नहीं कि इसका असर साल भर टिकता है कि नहीं तो यह बात पुख्ता तौर पर कैसे कही जा सकती है। पहली और दूसरी डोज लगवाने के बावजूद लोगों को कोरोना संक्रमण हुआ। वैक्सीन लगवाने के बाद संक्रमण संभव है, पर यह जानलेवा नहीं होगा, ऐसा कहने के बावजूद जानें गई। ऐसे में यह तो तय है कि जून तक बहुतों की वैक्सीन जनित सुरक्षा खत्म हो चुकी होगी। संक्रमण से पैदा हुई इम्युनिटी व्यक्ति आश्वासित है, यह कितनी मजबूत होगी यह भी आंकना जटिल है, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्तर पर कोरोना के संक्रमण की गंभीरता, जटिलता, वायरस लोड आदि पर निर्भर है। बूस्टर डोज के प्रति सरकार बहुत उत्साही नहीं दिखती, यह सबकी नहीं लग रही और जिनके लिए यह प्रस्तावित है उनकी भी संख्या पूरी नहीं हुई है। इस तरह देखें तो एक बड़ी आबादी समय बीतने के साथ असुरक्षित होगी। कोरोना की लहरों के प्रबंधन के बारे में लोग बहुत कुछ जान समझ चुके हैं। भले ही आशंकित चौथी लहर बहुत कमजोर रहे, पर उचित होगा कि सुविचारित उपाय तथा सतर्कता सतत जारी रहे। 180 करोड़ से अधिक रिकार्ड टीकाकरण करवेज वाले देश में फिर से कोरोना का खौफ अगर सतत रहा है तो वह इसलिए भी कि भारत में कोरोना के एंटीबाईडी का स्तर समय के साथ घटता जाता है, लेकिन हाइब्रिड इम्युनिटी सुरक्षा प्रदान करती रहती है, इसलिए वैक्सीन की कमी की आड़ न लेते हुए 60 से नीचे वालों को भी, यदि वे खतरनाक बीमारियों से ग्रस्त हों, फ्रेंटलाइन वर्कर हों अथवा नहीं, उन सभी को वैक्सीन का पूरक डोज मिलना चाहिए। लापरवाही बरती तो कमजोर प्रतिरोधी क्षमता वाले बुजुर्गों के जरिये चौथी लहर आ सकती है। टीकाकरण की रफतार धीमी हो चुकी है और जीनोम सैपलिंग, सीक्रेंसिंग का काम बैहद सुस्त है। ऐसे में जीनोम सीक्रेंसिंग में घटती तत्परता घातक हो सकती है। प्रशासनिक पार्बंदियां कम होने से जनता ने कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया है। ऐसे में हमें यह समझना होगा कि लहर खत्म हुई है, कोरोना निर्मूल नहीं हुआ है। पार्बंदियां हटाने के बाद अब सरकार को जागरूकता बढ़ाने के साथ ही भ्रम दूर करने वाला विज्ञान सम्पत अभियान चलाकर जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहिए।

भारत में असंगठित तौर पर कार्यरत श्रमिकों के लिए आर्थिक सामाजिक सुरक्षा की महत्ता

सुरक्षा वह प्रविधान है जो किसी व्यक्ति की बेरोजगारी, बीमारी, दुर्घटना, वृद्धावस्था या कोई ऐसा प्रसंग जिसमें उसके समने कोई असाधारण खर्च आ जाए, उस दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। भारत के लिए सामाजिक सुरक्षा और विशेष तौर पर वृद्धावस्था से जुड़ी पेंशन का प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आने वाले दशकों में हमारी औसत आयु बढ़ेगी। इस कारण से पेंशन पर निर्भर आबादी और उसका बोझ दोनों बढ़ेगो। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में ईपीएफओ की कर्मचारी पेंशन योजना-1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन को एक हजार रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन को कम मानते हुए इसे बढ़ाने के लिए कहा गया है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब किसी समिति ने इस तरह की बात की हो, इससे पहले भी कई अन्य समितियों ने पेंशन को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन इस समिति ने कुछ ऐसे प्रयास भी किए हैं जिससे इस प्रस्ताव ने सर्वीक्षा स्तर पर सामाजिक सुरक्षा और उसे सुनिश्चित करने में सरकार की भूमिका को एक नई दिशा दी है। समिति की सिफारिशों क्यों और कितनी महत्वपूर्ण है, इसे समझने के लिए हमें इस पहलुओं को देखना होगा। पहला, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा और उसकी जरूरत। दूसरा, सरकार की क्षमता और तीसरा भविष्य में भारत के जनसंख्यक बदलाव। सामान्य शब्दों में समझें तो सामाजिक-आर्थिक



2008 में असंगठित क्षेत्र श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 देश में लागू हुआ। मगर इससे की दिशा में एक मत्तव्यपूर्ण कदम है। भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई इस सहिता में गिर इकोनॉड और इस तरह के विविध प्रॉफर्म से जुड़े श्रमिकों को भी लाभ मिल सके इसलिए उन्हें भी जोड़ा गया है। इस सहिता में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए या तो अंशदान के आधार पर या कुछ मामलों में पूरी तरह से सरकारी वित्त पोषित या कारपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के अनुसार पूरे कार्यबल की सामाजिक सुरक्षा को विस्तार देने का प्रविधान किया गया है। कोविड महामारी के बाद पैदा परिस्थिति ने सामाजिक सुरक्षा के प्रति जागरूकता और बढ़ा दी है। असंगठित क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती श्रमिकों का डाटाबेस नहीं होने से जुड़ी थी। अगस्त 2021 में सरकार ई-श्रम पोर्टल लेकर आई जिसके माध्यम से इस कमी को दूर करने का प्रयास शुरू हुआ। वर्तमान में करीब 26 करोड़ से ज्यादा असंगठित श्रमिकों को ई-श्रम कार्ड जारी किया जा चुका है। इसमें पंजीकृत श्रमिकों को सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा लाभों के दायरे में लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी दिशा में बढ़ते हुए हाल ही में श्रम एं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानन्धन योजना के अंतर्गत डोनेट ए पेंशन नामक पहल की शुरूआत की। इस पहल में कोई भी नागरिक अपने कर्मचारी जैसे चालक, घरेलू सहयोगी इत्यादि के पेंशन के प्रीमियम योगदान को दान कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानन्धन योजना रचितक और अंशादायी है जिसमें लाभार्थी 60 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित योगदान करता है। केंद्र सरकार भी इसमें योगदान करती है तथा 60 वर्ष की आयु के बाद उसे तीन हजार रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा को प्रत्येक श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए यह सुनिश्चित करना हागा कि सरकार की ऐसी सभी योजनाओं की जानकारी उन्हें मिले और इससे भविष्य या किसी दुर्घटना की स्थिति में उन्हें क्या लाभ मिलेगा, वह भी उन्हें समझाया जाए। साथ ही वर्तमान की योजनाओं का एक अध्ययन भी करने की जरूरत है जिससे पता लगाया जा सके कि कौन सी योजनाएं सबसे प्रभावी रही है, ताकि उनको और सुदृढ़ किया जा सके। वर्तमान में भारत में इस क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में समाज की भागीदारी उन्नी नहीं है। हालांकि डोनेट ए पेंशन ऐसी एक बेहतर पहल है, लेकिन इस दिशा में अभी व्यापक प्रयास करने की जरूरत है, ताकि समाज अपनी भागीदारी को इसमें बढ़ा सके।

नैतिक शिक्षा ही सामाजिक मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम

नड़ शिक्षा नात लागू करने के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में डा. के. कस्तरीरामन के नेतृत्व में एक समिति विचार विमर्श कर रही है। इसमें बचपन से ही बच्चों में वैज्ञानिक सौच के विकास पर ध्यान

का दृभ भरने वाल समाज में दृत्य वृत्ति, निदयता, लालच, शोषण, घात, कर्तृ, भ्रष्टाचार, ठगी आदि किस तरह से सामाजिक तानेबाने को खोखला कर रहे हैं। क्या आपने इस बात पर कभी गौर किया कि अपराध के लिए कठोरतम सजा का परिधान है। कानून की सख्ती हो। इस स्थित में शिक्षा से इसके सहसंबंध को देखा जाना महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषतया नैतिक शिक्षा की उपयोगिता को। यह भी हैरानी वाली बात है कि नैतिकता को अक्सर नैर्सिग्क गुण बताकर इसे किसी को सिखाने से परहेज करने के कारण को अक्सर हवा मिलती



है, फिर भी अपराधों के ग्राफ में इंजाफ हो रहा है। संज्ञेय अपराध बढ़े हैं। ऐसी दशा में हमें उन अन्य बातों पर विचार करना होगा जो समाज के अपराध मुक्ति में सहायक रही हैं। लेकिन सही अर्थ में नीतिकाल सामाजिक गुण है, जिसे समाज द्वारा किसी व्यक्ति में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। इस तरह अपराध नियंत्रण में नीतिपक्ष शिक्षा

एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नीति और मूल्य आधारित शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण होने पर सरकार को अपराध नियंत्रण पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। समझना होगा कि समाज के नैतिक पतन का सीधा सा संबंध शिक्षा से जड़ा है। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था की अधिकता है और नैतिकता का अभाव। दरअसल शिक्षा ही मानवीय और नैतिक मूल्यों की स्थापना का सशक्त माध्यम है। हमारी शिक्षा का दर्शन सामाजिक और मानवीय होना चाहिए। यह एक सीमा तक सही है कि हम रोजगारपरक शिक्षा से डिक्टटर इंजीनियर तिजारी में वर्णित प्राचीन शिक्षा के प्रकार पर विमर्श करें तो पाएंगे कि उनमें वर्णित शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को जीवन के लिए तैयार करना था, मात्र जीविका के लिए नहीं। और शायद यही कारण था कि ऐसी शिक्षा से उत्पन्न हुई पीढ़ी नैतिक मूल्यों से सक्षमता समाज का

